न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामावतार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 37 / 17 निर्णय दिनांकः 16.8.17

1. प्रेमाराम पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी सहजरासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 02—02—1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलयत के निर्णय दिनांक 21—02—1984 जिसके द्वारा अपीलांट को विशेष आवंटन श्रेणी की भूमि भूमिहीन आवंटन में आवंटित की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगांनप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 238 / 25 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 238 / 17 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 02—02—1984 को सलाहकार समिति की राय से आवंटन की गई। अपीलांट को उक्त भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटित की गई है जबकि उपरोक्त भूमि विशेष आवंटन श्रेणी की है। अपीलांट को उक्त भूमि भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन नहीं की जा सकती थी। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02—02—1984 को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त रकबा विशेष आवंटन श्रेणी में अन्य को आवंटित हो चुका है। अपीलांट अपनी पात्रता अनुसार भूमिहीन के तहत आवंटन श्रेणी में भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही विशेष आवंटन श्रेणी की भूमि है, व इसी श्रेणी में अन्य को आवटन की जा चकी है। अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी कों निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–02–1984 के विरूद्व अपील दिनांक 09–05–17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–02–1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09–05–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तहसील कोलायत के चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 238/25 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 238/17 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 02–02–1984 को सलाहकार समिति की राय से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की गई। किन्तु अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया ना ही कब्जा प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपार्ट के अनुसार आराजी जैर विशेष आवंटन श्रेणी की है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल मिल सकती। चूंकि अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी की पात्रता मानते हुए विशेष आवंटन श्रेणी की भूमि का आवंटन किया गया है। इसलिए

अपीलांट का आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाना साबित है। अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की भूमिहीन श्रेणी की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—02—1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की पुनः जॉच करते हुए उसी किस्म की भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16-8-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर